न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 27/2018

बउनवान

भॅवरलाल आयु 65 साल पुत्र श्री मथुरालाल जाति–गुर्जर निवासी–भटवाडा तहसील–मॉगरोल जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,मॉगरोल **(रेस्पोंडेंट)**

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक – 19.11.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल के आदेश दिनांक 25.01.2018 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–भटवाडा, तहसील–मॉगरोल की आराजी खसरा नम्बर 960/1703 रकबा 0.10 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 160/–रूपये अर्थदण्ड एंव तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे सुनवाई का मौका दिया है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजा से दंडित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई अतिक्रमण नहीं है, उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी पडत पडी हुई है। शास्ति राशि जमा करा दी है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिचार नहीं करने के लिये वचनबद्ध है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

8 3 8– यह कि अधिनस्थ...

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की झूठी रिपोर्ट को विश्वसनीय मानते हुये आदेश पारित किया गया है। अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में भी पश्चात्वर्ती अतिक्रमण बाबत कोई स्वतंत्र गवाहान के बयान व पूर्व बेदखलीनामा नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को पश्चात्वर्ती नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरूद्ध निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.01.2018 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 59/17 निर्णय दिनांक 24.03.2017 में भी बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है व भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलांट के प्रति सहानुभूति का रूख अपनाते हुये सशर्त सजा माफ किया जाना उचित समझते है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील [illegible] स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल [illegible] एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] 0/18 में पारित निर्णय दिनांक 25.01.2018 दी गयी सिविल [illegible] शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से [illegible] तहसीलदार, मॉगरोल के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेकिंग [illegible] कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे व तहसीलदार [illegible] कब्जा छोडने से सन्तुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा निर्णय दिनांक 25.01.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मॉगरोल द्वारा पारित निर्णय दिनांक [illegible] यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 19[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डा.एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बा[illegible]
(जिला [illegible]
[illegible])

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official